# न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 13/2018 जिला सीकर

रामचन्द्र पुत्र सूरजाराम, जाति जाट, निवासी ढाणी सोलेतान, ग्रम पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

1. श्योराम पुत्र झूंथाराम, जाति जाट, निवासी ढाणी सोलेतान तन पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)
2. भूमिधारक तहसीलदार, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर
दिनांक 28.11.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री रामअवतार शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री सुनिल कुमार शर्मा

## निर्णय

दिनांक– 12.9.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 28.11.2017 के खिलाफ धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि श्योराम पुत्र झूंथाराम जाट द्वारा उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनिय प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 3964 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3965 रकबा 2.90 हैक्टेयर तन ग्रम पीथमपुरी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर का वह काबिज खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व अभिलेख में अंकित है । तहसीलदार से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान स्वीकार हुआ ओर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.5.2016 को सीमाज्ञान किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई । अपीलान्ट रामचन्द्र प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने व सीमा चिन्हों को हटाने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वर्णित भूमि की सीमाओं पर सीमा चिन्ह अंकित किये जाकर पत्थरगढ किये जाने के आदेश फरमाये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा दिनांक 28.11.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित कर तहसीलदार नीमकाथाना को विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.11.2017 के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये तथा भूमि खसरा नम्बर 3964 , 3965 के सींव जोड चारों तरफ के काश्तकारों की विधिवत जरिये नोटिस तामिल करवाकर उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी करावें एवं पालना रिपोर्ट के साथ सूचना दिया जाना सुनिश्चित करें । उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 28.11.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 28.11.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जिस सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 22.5.16 के आधार पर पत्थरगढी की कार्यवाही करने की प्रार्थना रेस्पोंडेन्ट द्वारा की गई थी, उस सीमांकन रिपोर्ट में कही भी उल्लेख नहीं किया गया कि अपीलान्ट की भूमि में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की भूमि की नाप जोख कितनी है, ना ही किसी प्रकार की नाप जोख करने का उल्लेख किया । रेस्पोंडेन्ट द्वारा मात्र यह उल्लेख किया गया कि सर्वेशीट के आधार पर आवेदक काश्तकार को सीमायें बतायी जावे । तहसीलदार द्वारा भी विवादित भूमि का सीमांकन करते समय अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया ओर ना ही मौके पर कोई सीमांकन करने गये , केवल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्यों व परिचितों के हस्ताक्षर करवाकर सीमांकन रिपोर्ट तैयार की गई है । सीमांकन रिपोर्ट में मुन्तकिल बिन्दु से किसी भी प्रकार की नाप जोख का उल्लेख नहीं होने से सीमांकन रिपोर्ट संदेहास्पद है । सीमांकन रिपोर्ट से पूर्व पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट लेकर पडौसी खातेदारों को नोटिस दिया जाता है, लेकिन पडौसी काश्तकारों को नोटिस दिये बिना सीमांकन रिपोर्ट तैयार की है, जो संदेहास्पद है एवं ऐसी संदेहास्पद सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को बिना सुने पत्थरगढी करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध है । उनका कहना था कि पत्थरगढी अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3962 से 1 बिन्दु तय कर साढे तीन मीटर भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की बताते हुये पत्थरगढी करवायी है जबकि सीमांकन रिपोर्ट में किसी प्रकार की नाप जोख मुन्तकिल बिन्दु से नहीं की गई थी । उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा दिनांक 28.11.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित कर तहसीलदार नीमकाथाना को विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.11.2017 के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश दिये थे तथा भूमि खसरा नम्बर 3964 , 3965 के सींव जोड चारों तरफ के काश्तकारों की विधिवत जरिये नोटिस तामिल करवाकर उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी करावें एवं पालना रिपोर्ट के साथ सूचना दिया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये थे, लेकिन अपीलान्ट को बिना सुने व बिना नोटिस दिये एकपक्षिय रूप से आलोच्य आदेश की पालना कर भारी कानूनी भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 श्योराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3964 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 3965 रकबा 2.90 हैक्टेयर तन ग्रम पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.11.2017 के मुताबिक पत्थरगढी करने के अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किये हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि अपीलान्ट के खसरा नम्बर की भूमि अपीलाधीन आदेश से प्रभावित नहीं है । अपीलाधीन आदेश की अनुपालना में रेस्पोंडेन्ट की भूमि की पत्थरगढी की जाकर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.1.2018 को तैयार की जा चुकी है । उनका कहना था कि अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित नहीं होने से उसको अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है । अतः अपीलाधीन आदेश एवं उसकी अनुपालना में की गई पत्थगरगढी उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि की पत्थरगढी को लेकर है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने रेस्पोंडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.11.2017 के मुताबिक पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये तथा भूमि खसरा नम्बर 3964 , 3965 के सींव जोड चारों तरफ के काश्तकारों की विधिवत जरिये नोटिस तामिल करवाकर उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी कराकर पालना रिपोर्ट के साथ सूचना दिया जाना सुनिश्चि करने के भी निर्देश दिये है । अपीलान्ट के अधिवक्ता की मुख्य आपत्ति कि पडौसी काश्तकारों को नोटिस दिये बिना सीमांकन रिपोर्ट तैयार की है, जो संदेहास्पद है एवं ऐसी संदेहास्पद सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को बिना सुने पत्थरगढी करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध है ।

उपरोक्त तथ्यों को परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायालय को आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी प्रभावित/ हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 17.11.17 के आधार पर पत्थरगढी करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2017 पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अतः प्रकरण के तथ्यों , गुणावगुण एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी. पी.सी. में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 28.11.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 12.9.2018 को सुनाया गया ।

( चित्रा गुप्ता )
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर